भास्कर ए. सावंत, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर–302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक / अध्यक्ष डिस्काम्स् / अधी.अभि.(आर.ई.) / एफ. प्र. 428 दिनांक: 25.12.2021

आदेश

विषयः— कृषि कनेक्शन नीति–2017 में आंशिक संशोधन बाबत्।

1. कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 11.2 में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाता है।

   11.2 (अ) आवेदक द्वारा अपने बूंद–बूंद / फव्वारा / डिग्गी योजना के विद्युत कनेक्शन हेतु लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का कार्य स्वयं के स्तर पर निगम द्वारा अनुमोदित / विद्युत निरीक्षक द्वारा अधिकृत लाईसेन्सधारी के माध्यम से करवाया जा सकेगा। लाईन के सामान एंव ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था आवेदक द्वारा अपने स्तर पर करने पर इस आशय का विकल्प (50 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर सत्यापित कर) आवेदन करते समय ही देना होगा। आवेदक को तकमीना अनुसार 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि का मांग पत्र जारी किया जायेगा। उपरोक्त आवेदनकर्त्ताओं की वरियता मांग पत्र जमा दिनांक से अलग से संधारित की जावेगी। आवेदक द्वारा आवश्यक सामग्री स्वयं के स्तर पर निगम के मापदण्डों के अनुरुप उपलब्ध एवं स्थापित करवाई जावेगी। परन्तु वितरण ट्रांसफॉर्मर को ही निगम की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जांच कराना अनिवार्य होगा। आवेदक के कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री की वास्तविक खपत के आकलन (MAS A/C) के अनुरुप सुपरविजन राशि का आकलन किया जाकर आवेदक से वसूली योग्य अथवा देय राशि को उसे जारी किये जाने वाले आगामी विद्युत बिलों के माध्यम से समायोजन किया जा सकेगा।

2. कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 18.2.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

   फ्लैट रेट उपभोक्ता का उसी कुएँ / बोरिंग पर विद्युत मोटर का भार बढा हुआ पाया जाने पर।

3. कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 18.3.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

   अनुच्छेद 18.2.2 के मीटर प्रणाली के उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:—

   बढा हुआ भार x 2 x स्थाई प्रभार (अनुदान रहित–विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 2 माह के लिए।

4. कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 19.2, परिभाषा D को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

D = उक्त अवधि में प्रचलित विद्युत दर प्रति यूनिट (उपभोक्ता के मामले में–उपभोक्ता द्वारा वहन राशि जिसमें अनुदान राशि शामिल नही है एवं गैर उपभोक्ता के मामले में विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर)।

उपरोक्त प्रावधान लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदन एवं नये तैयार किये जाने वाले सतर्कता जांच प्रतिवेदन पर लागू होंगे।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्काम्स

No. Jd./SE(PPM)/XEN(S&I) /D. 326 Dated:- 27/12/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त / तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन / बीकानेर जोन / बाडमेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर / बाड़मेर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (एएण्डआईए / बी एण्ड आर / डब्लयू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जयपुर।
7. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. **अधीक्षण अभियंता(नगर / ज़िला / पवस), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / सिरोही / जालौर / जैसलमेर / बाड़मेर / बीकानेर / चुरू / हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर को अक्षरक्षः पालनार्थ हेतु।**
9. अधीक्षण अभियंता(सतर्कता / टीडब्ल्यू / वाणिज्य / एमएम / एमएण्डपी / बीएफएल),जोधपुर डिस्कॉम,.......................।
10. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. निजी सचिव– माननीय.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
13. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
14. जनसंपर्क अधिकारी जोविविनिलि, जोधपुर।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर